

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,  
विशेष सचिव,  
३०५० शासन।

सेवा में

✓ निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
३०५० लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-८३ से आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुसूचित दर्गे के लाभार्थियों हेतु जनपद-मञ्च की ०१ परियोजना हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-३९९५/७६/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/मू०वृद्धि/२०१४-१५, दिनांक १५ जनवरी, २०१५ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-८३ से जनपद-मञ्च की नगर निकाय-मञ्च की ३७४ आवासों के सापेक्ष अनुसूचित दर्गे के लाभार्थियों के ९९ आवासों की ०१ पुनरीक्षित परियोजना हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत रु० ४९१.६२ लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित प्रश्नगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-११ में अंकित देय अंतर की धनराशि रु० १०८.१२ लाख (रूपये एक करोड़ आठ लाख बारह हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-४०७/२०१५/९५१-१/६९-१-२०१५-१४(७६)/२०१५, दिनांक ३१ मार्च, २०१५ द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी०एल०ए० में संरक्षित धनराशि में से आहरित कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(प्रत्यक्षील लागत रु० में)

क्र०	जनपद/ परियोजना/ क्षेत्र आवासों की संख्या।	मूल परियोजना	अनुसूचित दर्गे के लाभार्थियों की संख्या।	मूल परियोजना	अनुसूचित दर्गे के लाभार्थियों की सापेक्ष संख्या।	अनुसूचित दर्गे के लाभार्थियों की सापेक्ष संख्या।	केन्द्रों की परियोजना जिसे गणना एक०पी०	पी०एक० एक०पी०५०	पुनरीक्षित परियोजना	पुनरीक्षित परियोजना	पुनरीक्षित परियोजना की लागत।
सं०											
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१	मञ्च- ४७९/३७४ आवास योग	१४८६.५६	९९	३७०.७८	३७०.७८	९.६९	१८५७.२५	४९१.६२	४८९.२१	१०८.१२	१०८.१२

प्रतिबन्ध-

इमरश...

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, आरत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रआग्रह्यय वित्त समिति/प्रायद्य स्तरीय सम्बन्ध समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्याप की जायेगी।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह आग्र-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुभव्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनां पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एवकेलेशन अनुभव्य न होगा।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान द्वारा परियोजना सम्बन्धी रामी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता अदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षा परियोजनां के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
- उक्त परियोजना हेतु अंतिम किश्त की धनराशि को सम्बन्धित सूडा/इूडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देव्य/अनुभव्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुभव्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त धनराशि का आहरण सविविनिटेशन, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ एवं सम्बन्धित इूडा द्वारा प्रमुख सचिव/सविव अथवा छिशाख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
- प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संघया, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पीएत्पीए में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें आरत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्वी यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्वीकृत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुआग-2 के शासनादेश संघया-बी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- परियोजना में सम्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमन्यता की सीमा तक व्यय कराया..... 3

- सुनिश्चित करने का दायित्व सूडा/दूडा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त मिशनों की धनराशि को गणना के सम्बन्ध में सूडा/दूडा स्वयं सन्तुष्ट हो लेगी। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूडा/दूडा का होगा।
10. परियोजनान्तर्गत धनराशि द्वय करने में 30प्र० के बजट मैनुप्रल के प्रत्यर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सूडा/दूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
  12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का गिराव भालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करायेंगे।
  13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की दैरेशावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम0ओ0य० (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई व यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दूडा को निर्देशित किया जायेगा।
  15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
  16. लेवर सेस की धनराशि का भुगतान अम विभाग को वास्तवित रूप से किया जायेगा।
  17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अनित्य होगी। अविष्य में उक्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  18. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0एल0एन0ए० (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं मागणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
  19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दूडा को निर्देशित किया जायेगा।
  20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर व्यय कर ली जाय।
  21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस किया जाना सूडा सुनिश्चित किया जायेगा।
  22. सूडा द्वारा शासनादेश सं0-मु0स0-29/69-1-14-14(62)/2013, दिनांक 05.11.2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (आय व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-2/2015/वी ।-925/उ-20  
231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत जारी किये जा रहे हैं।

मबदीय,  
*lipsh*  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-691/१८०५/।।।७२- (1)/६९-।-।५-३(लाइएचएसडीपी-८३)/।०टीसी, तदिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाये एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नगर्ह मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवा तल, संगम ऐस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, मऊ।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-।, ३०प्र० शासन।
6. वित्त (व्यव्ययनियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
10. कोषाधिकारी, कलेक्टर लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
12. सहायक वेद मास्टर, सूडा को विभागीय वेद साइड पर अपलोड कराने हेतु।
13. गाई फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।